

EXTRAORDINARY

भाग ॥—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 736]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 863(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
"251	427	असम राज्य में होवली के निकट रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर बारपिटा, हाजो को जोडते हुए और जलुकवाडी के निकट
		नए रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

	1	
252	329	असम राज्य में मांजा के निकट रारा सं 29 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर डिफु को जोडते हुए और लुमडिंग के निकट नए रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
253	117 ए	असम राज्य में बिलासीपाडा के निकट रारा सं 17 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कोकराझार को जोडते हुए और गरुभाषा के निकट नए रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
254	715 ए	असम राज्य में नाखोला के निकट रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जगीरोड, मैरीगांव, कोपति, रोवता, उदलगुडी, खोइराबाडी को जोडते हुए इंडो/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
255	127 इ	असम राज्य में बरामा के निकट रारा सं 27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बसका, सुबनखता को जोडते हुए और इंडो/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-11)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O 863(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New	Description of National Highways
	National Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
"251	427	The highway starting from its junction with NH-27 near Howli connecting
		Barpeta, Hajo and terminating at its junction with new NH No. 27 near
		Jalukbari in the State of Assam
252	329	The highway starting from its junction with NH-29 near Manja connecting
		Diphu and terminating at its junction with new NH No. 27 near Lumding in
		the State of Assam

TABLE

253	117A	The highway starting from its junction with NH-17 near Bilasipara connecting Kokrajhar and terminating at its junction with New NH-27 near Garubhasa in the State of Assam
254	715A	The highway starting from its junction with NH-27 near Nakhola connecting Jagiroad, Marigaon, Kaupati, Rowta, Udalguri, Khoirabari and terminating at Indo/Bhutan border in the State of Assam
255	127E	The highway starting from its junction with NH-27 near Barama connecting Baska, Subankhata and terminating at Indo/Bhutan border in the State of Assam

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-11)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

FOOTNOTE:- The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.